

भारत सरकार Government of India पर्यावरण, वन एवं जलवाय् परिवर्तन मंत्रालय Ministry of Environment, Forest & Climate Change एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ



Integrated Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, ग्याखां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024 ndriva Bhawan, 11° Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696 Email : rocz.lko-mef@nic.in, goimoefrolko@gmail.com

. 8बी / यूoपीo / 07 / 118 / 2021 / एफ.सी. **/ / 7.3** 015 हम

दिनाक : 09.06.2023

सेवा में

अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/RAIL/41878/2019

विषयः पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा औडिहार–जौनपुर रेलवे सेक्शन के अंतर्गत रेलव ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर (किमी० 1.900 से 10.900 तक) में प्रभावित 6.50572 हे० संरक्षित वनमूमि एवं 09 वृक्षों / पौघों के पातन तथा जनपद जौनपुर में (किमी0 10.900 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1337 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति अर्थात् कुल 49.92276 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1346 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ मुख्य वन संरक्षक∕नोडल अधिकारी का पत्रांक 2716∕11-सी– FP/UP/Rail/41878/2019, दिनांक 21.02.2023. महोदय,

उपरोक्त विषयक विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी–67 / 81–2–2021–800(54) / 2021, दिनांक–22.03.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी गयी है।

प्रकरण को दिनांक 30.05.2023 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में Agenda Item No. 5.4 (UP) सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त करने के पश्चात् आगामी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में प्रकरण को पनः विचारार्थ रखा जायेगा :--

- 1- DFOs need to submit the certificate from Railways in accordance with the guideline of MoEFCC dated 10.03.2022 wherein it is clarified that
 - a) "For execution or maintaining of Railway works on Railway owned land within Railway's right of way under Section 11 of Railways Act 1989, notwithstanding the directions of Hon'ble Supreme Court given in the judgment in TN Godavarman Thirumalpad v. Union of India, (W.P. (C) 202/1995), the need for obtaining the approval of the Central Government under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 will not arise.
 - b) These directions are applicable ONLY for execution or maintaining of Railway works on Railway owned land within Railway's right of way under Section 11 of Railways Act 1989. Rest of the cases will be dealt with relevant provisions under Forest (Conservation) Act, 1980."

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में उक्त जानकारी ⁄ सूचना इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में आगामी कार्रवाई सुनिष्टिचत की जा सके।

भवदीयाः

(डॉ० प्राची गंगवार) उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :--

- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
- 2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
- 3. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
- 4. प्रभागीय निदेशक, गाजीपुर / जौनपुर।
- , अवर अभियंता / कार्य / निर्माण / बींoएस0वी0, उत्तर रेलवे, वाराणसी। 5

पर्यावरण, वन एव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्राष्ठ्री 09.06.202?

(डॉ० प्रोवी गंगवार) उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)